न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 102/2019 राजस्व वाद

निर्णय दिनांकः– 21.08.2019

विजयसिंह पिता स्व0 मोहन सिंह जी जाति राजपूत आयु निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. देवीसिंह पिता स्व0 मोहनसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. नारायण सिंह पिता स्व0 मोहनसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. रतनसिंह पिता स्व0 मोहनसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. विद्या बाई पत्नी स्व0 मोहनसिंहजी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा।

..........प्रतिवादीगण

वाद इन्द्राज दुरूस्ती बाबत्।

उपस्थित : 1. ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।

2. प्रमोद कुमार वशिष्ठ, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4।

: : निर्णय : :

दिनांक :–21.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से यह वाद इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम कोठारिया 'ब' तहसील नाथद्वारा मे खाता सं. 174 मे कुल आराजी किता 72 कुल रकबा 49–00 बीघा कृषि भूमिया स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी मे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार अंकित है। वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमियो का अभी तक विभाजन नही हुआ है तथा संयुक्त शामलात कृषि भूमिया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

मोहनसिंह (फोत)

विद्याबाई (पत्नी) | देवीसिंह | विजयसिंह (कमलसिंह) | नारायणसिंह | रतनसिंह

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

वादी विजयसिंह को गांव एवं घर मे कमलसिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है परन्तु वादी के परिवार के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन पहचान पत्र मे विजय सिंह पिता स्व0 मोहनसिंह नाम अंकित है परन्तु राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम कमल सिंह पिता मोहनसिंह अंकित है। वादी को गांव एवं घर के अन्दर दोनो नामो से जाना पहचाना जाता है परन्तु उक्त दोनो नामो को लेकर भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न नही हो तथा सभी दस्तावेजो मे अलग–अलग नाम से लेकर कोई विवाद नही हो इसलिये वादी राजस्व रेकार्ड मे भी कमल सिंह पिता मोहनसिंह की जगह विजय सिंह पिता मोहन सिंह नाम अंकित कराना चाहता है तथा इसी नाम की राजस्व रेकार्ड मे घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे कमल सिंह पिता मोहनसिंह अंकित है। अन्य सभी दस्तावेज विजयसिंह पिता मोहनसिंह नाम अंकित है जबकि दोनो नाम को लेकर विवाद नही हो इसलिये वादी राजस्व रेकार्ड मे विजयसिंह पिता मोहनसिंह इन्द्राज दुरूस्त कराने का भी अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 02.08.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपने खाते की नकल लेकर ईमित्र पर गया तथा किसान सम्मान निधि योजना मे मिलने वाले लाभ के लिये आवेदन करने गया तो ईमित्र वाले ने कहा कि दोनो नाम अलग–अलग होने से आपको उक्त योजना मे लाभ नही मिल सकता। इसलिये वाद कारण उत्पन्न हो आज भी जारी है। वाद मे वर्णित प्रतिवादी सं. 1 से 4 को इसलिये पक्षकार बनाया गया है कि वाद घोषणा का है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आवश्यक पक्षकार होने से इन्हे पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई प्रतिकर नही चाहा गया है।प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार साहब नाथद्वारा भूमि धारी होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। इनके विरूद्ध कोई प्रतिकर नही चाहा गया है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद की पेरा सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमियो मे वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे कमल सिंह पिता मोहनसिंह दर्ज है उस नाम की जगल विजयसिंह पिता मोहनसिंह घोषित फरमाई जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरूस्ती की आज्ञा प्रदान कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के वाद मे चाही गई दाद पर कोई आपत्ति जाहिर नही कर वाद मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुये वाद मे राजीनामे से डिक्री पारित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। राजस्व ग्राम कोठारिया 'ब' तहसील नाथद्वारा के खाता सं. 174 कुल आराजी किता 72 रकबा 49–00 बीघा मे कमलसिंह सहखातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है वादी को घर के अन्दर कमलसिंह नाम से पुकारा जाता है। जबकि दस्तावेजो मे विजयसिंह अंकित है। कमलसिंह एवं

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

विजयसिंह दोनो एक ही है। अतः वादी विजयसिंह पिता मोहनसिंह अंकित कर इन्द्राज दुरूस्त कराने एवं तदुपरान्त वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमियो मे कमलसिंह के स्थान पर विजयसिंह नाम की घोषणा कराने पर कोई आपत्ति नही होकर अपनी सहमति प्रदान की है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम कोठारिया 'ब' की जमाबन्दी संवत् 2045–48 के खाता सं. 141 मे विरासत से मोहनसिंह के बजाय मु. विद्याबाई बेवा मोहनसिंह देवीसिंह **कमलसिंह** नारायणसिंह रतनसिंह पिता मोहनसिंह सहखातेदार दर्ज होना प्रकट होता है। राजस्व ग्राम कोठारिया 'ब' तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता सं. 174 मे कुल आराजी किता 72 कुल रकबा 49–00 बीघा मे कमलसिंह दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार होना प्रकट होता है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 जो कि वादी के भाई है एवं प्रतिवादी सं. 4 वादी की माता ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि कमलसिंह और विजयसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। विजयसिंह को घर मे कमलसिंह पुकारा जाता है। अतः कमलसिंह के स्थान पर विजयसिंह नाम अंकित किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। साथही सरपंच ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी अनुशंषा पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजो मे विजयसिंह पिता मोहनसिंह दर्ज होना पाया गया है। वादी की मां (प्रतिवादी सं. 4) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि कमलसिंह एवं विजयसिंह एक ही पुत्र है विजयसिंह को घर के अन्दर कमलसिंह के नाम से भी पुकारा जाता है जिसकके कारण इसी नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गया जबकि अन्य दस्तावेजो मे मेरे इस पुत्र का नाम विजयसिंह है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर विजयसिंह मोहनसिंह का पुत्र होना साबित होता है।

उपरोक्तानुसार वादी इन्द्राज दुरूस्त करने का अधिकारी साबित होता है एवं बाद इन्द्राज दुरूस्ती वादी अपने नाम की घोषणा कराने का अधिकारी भी साबित होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है –

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोठारिया 'ब' तहसील नाथद्वारा के खाता सं. 174 की कुल आराजी किता 72 कुल रकबा 49–00 बीघा मे **"कमलसिंह पिता मोहनसिंह के बजाय विजयसिंह उर्फ कमलसिंह पिता मोहनसिंह"** अंकित करने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **21.08.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द